



उत्तर प्रदेश सरकार

2025-2026 के लिये

अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें

(दिसम्बर, 2025)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार
2025-2026 के लिये
अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें

(दिसम्बर, 2025)

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है। व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती। अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो। ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–2026 की अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं। विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है। अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है। इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है। विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 2449697.72 लाख की है, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 1836929.67 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 612768.05 लाख है।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन माँगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

पौष 01, शक संवत्, 1947
तदनुसार
22 दिसम्बर, 2025

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण**

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है –

"वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।"

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2025–2026 की प्रथम छमाही के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2025–2026 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

वर्ष 2025–2026 की प्रथम छमाही हेतु पुनर्विलोकन रिपोर्ट –

(₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान 2025–2026	महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आँकड़े 2025–2026 (30.09.2025 तक)	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1 राज्य का स्वयं का कर	295000.00	104735.39	35.50
2 करेतर राजस्व	24603.85	7240.89	29.43
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	255172.21	113145.93	44.34
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	87914.87	10345.86	11.77
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (योग – 1, 2, 3 एवं 4)	662690.93	235468.07	35.53
5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	3242.17	29.80	0.92
कुल गैर उधार प्राप्तियाँ (योग – 1, 2, 3, 4 एवं 5)	665933.10	235497.87	35.36
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	583174.57	217628.57	37.32
7 पूंजीगत परिव्यय	165242.91	26162.87	15.83
8 उधार एवं अग्रिम	8915.42	1029.28	11.54
9 ऋणों का प्रतिदान	51403.16	16733.75	32.55
कुल व्यय (योग – 6, 7, 8 एवं 9)	808736.06	261554.47	32.34
(स) राजस्व बचत	79516.36	17839.50	-----
(द) राजकोषीय घाटा	91399.80	9322.85	-----

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के सम्बर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 2449697.72 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 219724.71 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि ₹ 2229973.01 लाख है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेतर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
001	आबकारी विभाग	मुख्य मंत्री			1
			पूँजी	2625.00	...
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	लघु उद्योग मंत्री	राजस्व	300.00	... 2-3
004	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	मुख्य मंत्री			4
			पूँजी	150.00	...
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री	राजस्व	8501.00	... 5-6
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री	राजस्व	169316.42	... 7-9
			पूँजी	318105.00	...
008	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	औद्योगिक विकास मंत्री	राजस्व	100.00	... 10
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	374445.00	... 11-12
			पूँजी	77665.00	...
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	मुख्य मंत्री	राजस्व	2666.34	... 13-14
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री	राजस्व	7764.45	... 15-19
			पूँजी	2695.00	...
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	पंचायती राज मंत्री	राजस्व	20000.00	... 20-21
			पूँजी	2551.00	...
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	पशुधन मंत्री	राजस्व	1495.50	... 22-24
			पूँजी	532.15	...
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	दुग्ध विकास मंत्री	राजस्व	2650.00	... 25-26
			पूँजी	1100.00	...

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	मुख्य मंत्री	राजस्व	515.71	...	27-28
			पूँजी	2000.00	...	
019	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री				29
			पूँजी	2558.00	...	
020	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	मुख्य मंत्री	राजस्व		8000.00	30-31
021	खाद्य तथा रसद विभाग	मुख्य मंत्री				32
			पूँजी	1347.00	...	
022	खेल विभाग	मुख्य मंत्री				33
			पूँजी	1.00	...	
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	गन्ना एवं चीनी मंत्री				34
			पूँजी	40000.00	...	
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	राजस्व	40718.30	...	35-46
			पूँजी	46.00	...	
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	राजस्व	30000.00	...	47
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	परिवार कल्याण मंत्री	राजस्व	196505.00	...	48-49
037	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	राजस्व	109648.00	...	50-53
			पूँजी	64000.00	...	
040	नियोजन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	5017.40	...	54-56
			पूँजी	121.00	...	
042	न्याय विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	13000.00	...	57-58

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
043	परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	5000.00	...	59-60
			पूँजी	1.00	...	
044	पर्यटन विभाग	पर्यटन मंत्री	राजस्व	110.00	...	61-62
			पूँजी	1002.00	...	
045	पर्यावरण विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	446.30	...	63-64
046	प्रशासनिक सुधार विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	46.95	...	65
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	प्राविधिक शिक्षा मंत्री	राजस्व	450.00	...	66-68
			पूँजी	63445.70	...	
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री	राजस्व	53500.00	...	69-70
			पूँजी	700.00	...	
050	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1050.00	...	71-72
			पूँजी	500.00	...	
051	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	मुख्य मंत्री	राजस्व	125.03	...	73-75
			पूँजी	2.00	...	
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	674.47	...	76-77
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	मुख्य मंत्री				78-79
			पूँजी	2000.00	337.05	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1.00	...	80-81
			पूँजी	1000.00	...	
060	वन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	350.00	...	82-84
			पूँजी	9000.00	...	

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	वित्त मंत्री	राजस्व	30.00	500000.11	85-86
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	वित्त मंत्री	राजस्व	448.00	...	87-88
			पूँजी	309.93	...	
067	विधान परिषद् सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	राजस्व	1244.10	7.00	89-92
			पूँजी	4015.20	...	
068	विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	राजस्व	2331.21	...	93-94
			पूँजी	450.00	...	
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	15000.00	...	95-96
			पूँजी	3900.00	...	
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री	राजस्व	50000.00	...	97
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1590.14	...	98-99
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	मुख्य मंत्री				100-101
			पूँजी	101.00	...	
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री				102
			पूँजी	2615.63	...	
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	400.00	...	103
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	40463.63	...	104-107
			पूँजी	1343.47	...	
080	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	20558.75	...	108-109

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	4257.19	...	110-112
			पूँजी	100.00	...	
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	मुख्य मंत्री	राजस्व	143578.67	...	113-117
			पूँजी	6100.00	...	
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	3976.00	...	118-120
087	सैनिक कल्याण विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	50.00	...	121
092	संस्कृति विभाग	संस्कृति मंत्री	राजस्व	500.00	...	122-123
			पूँजी	347.92	...	
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री	राजस्व	98.00	...	124
095	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री				125
			पूँजी	1.00	...	
			योग : राजस्व	1328922.56	508007.11	
			पूँजी	612431.00	337.05	
			योग :	1941353.56	508344.16	
			कुल योग :	2449697.72		

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल		
	67	912.10
	68	2331.21
योग : 2011		3243.31
योग : (क)		3243.31
(ख) राज कोषीय सेवायें		
(II). सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण		
2029 - भू-राजस्व		
	52	674.47
योग : 2029		674.47
योग : (ख)		674.47
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा		
2048 - ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
	61	500000.00
योग : 2048		500000.00
योग : (ग)		500000.00
(घ) प्रशासनिक सेवायें		
2051 - लोक सेवा आयोग		
	20	8000.00
योग : 2051		8000.00
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें		
	46	46.95
	65	8.00
	78	400.00
योग : 2052		454.95
2053 - जिला प्रशासन		
	50	1050.00
योग : 2053		1050.00
2054 - खजाना तथा लेखा प्रशासन		
	65	440.00
योग : 2054		440.00
2058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण		
	08	100.00
योग : 2058		100.00
2059 - लोक निर्माण कार्य		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	67	339.00
योग : 2059		339.00
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें		
	61	30.00
योग : 2070		30.00
योग : (घ)		10413.95
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें		
2075 - विविध सामान्य सेवायें		
	61	0.11
योग : 2075		0.11
योग : (ङ)		0.11
योग : क		514331.84
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा		
	72	690.14
योग : 2202		690.14
2203 - तकनीकी शिक्षा		
	47	450.00
योग : 2203		450.00
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें		
	72	900.00
योग : 2204		900.00
2205 - कला एवं संस्कृति		
	92	500.00
योग : 2205		500.00
योग : (क)		2540.14
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
	31	40718.30
	83	1546.00
योग : 2210		42264.30
2211 - परिवार कल्याण		
	35	76505.00
	81	1140.00
	83	122355.00
योग : 2211		200000.00
योग : (ख)		242264.30

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2215 - जल पूर्ति तथा सफाई	37	30000.00
योग : 2215		30000.00
2217 - शहरी विकास	37	77148.00
	81	192.00
	83	2016.00
योग : 2217		79356.00
योग : (ग)		109356.00
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार	86	3976.00
योग : 2220		3976.00
योग : (घ)		3976.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	39360.00
	83	15266.94
योग : 2225		54626.94
योग : (ङ)		54626.94
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	69	15000.00
योग : 2230		15000.00
योग : (च)		15000.00
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	32	30000.00
	35	120000.00
	37	2500.00
	42	13000.00
	49	53500.00
	79	1103.63
	80	20558.75
	87	50.00
योग : 2235		240712.38

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	51	125.03
योग : 2245		125.03
योग : (छ)		240837.41
योग : ख		668600.79
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म	10	2371.00
	11	7744.45
	81	105.06
	83	2348.98
योग : 2401		12569.49
2403 - पशु पालन	15	1495.50
योग : 2403		1495.50
2404 - डेरी विकास	16	2650.00
योग : 2404		2650.00
2405 - मछली पालन	83	45.75
योग : 2405		45.75
2406 - वानिकी तथा वन्य जीव	60	350.00
योग : 2406		350.00
2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	11	20.00
योग : 2415		20.00
2425 - सहकारिता	18	515.71
योग : 2425		515.71
योग : (क)		17646.45
(ख) ग्राम विकास		
2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	81	2755.13
योग : 2501		2755.13
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14	20000.00

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2515	20000.00
	योग : (ख)	22755.13
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		
2575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	40	3047.00
	योग : 2575	3047.00
	योग : (ग)	3047.00
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		
2702 - लघु सिंचाई	93	98.00
	योग : 2702	98.00
	योग : (घ)	98.00
(ङ) ऊर्जा		
2801 - बिजली	09	374445.00
	योग : 2801	374445.00
2810 - नये और नवीनीकृत ऊर्जा	70	50000.00
	योग : 2810	50000.00
	योग : (ङ)	424445.00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग	03	150.00
	06	8501.00
	10	295.34
	81	65.00
	योग : 2851	9011.34
2852 - उद्योग	03	150.00
	07	129316.42
	योग : 2852	129466.42
2885 - उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	07	40000.00
	योग : 2885	40000.00
	योग : (च)	178477.76
(छ) परिवहन		
3053 - नागर विमानन	58	1.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 3053	1.00
3055 - सड़क परिवहन		
	43	5000.00
	योग : 3055	5000.00
	योग : (छ)	5001.00
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		
3435 - परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण		
	45	446.30
	योग : 3435	446.30
	योग : (झ)	446.30
(ञ) सामान्य आर्थिक सेवायें		
3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें		
	40	722.40
	योग : 3451	722.40
3452 - पर्यटन		
	44	110.00
	योग : 3452	110.00
3454 - जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
	40	1248.00
	योग : 3454	1248.00
	योग : (ञ)	2080.40
	योग : ग -	653997.04
	राजस्व लेखा	1836929.67
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		
	01	2625.00
	14	2550.00
	18	2000.00
	43	1.00
	50	500.00
	55	337.05
	65	309.93
	67	3507.32
	68	450.00
	योग : 4059	12280.30
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	19	2558.00
	37	50000.00
	67	507.88
	योग : 4070	53065.88
	योग : क -	65346.18
ख - सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
	22	1.00
	47	63445.70
	75	101.00
	76	2615.63
	83	100.00
	92	347.92
	योग : 4202	66611.25
	योग : (क)	66611.25
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूंजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
	31	46.00
	योग : 4210	46.00
	योग : (ख)	46.00
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
	55	2000.00
	योग : 4216	2000.00
	योग : (ग)	2000.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा		
4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	79	200.00
	योग : 4225	200.00
	योग : (ङ)	200.00
(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	14	1.00
	49	700.00
	79	1143.47
	योग : 4235	1844.47

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : (छ)	1844.47
(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	51	2.00
	69	3900.00
	81	100.00
	83	1000.00
	योग : 4250	5002.00
	योग : (ज)	5002.00
	योग : ख -	75703.72
ग - आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा		
4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय		
	11	2495.00
	83	5000.00
	योग : 4401	7495.00
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय		
	15	532.15
	योग : 4403	532.15
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय		
	60	9000.00
	योग : 4406	9000.00
4415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		
	11	200.00
	योग : 4415	200.00
	योग : (क)	17227.15
(घ) सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा		
4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	95	1.00
	योग : 4701	1.00
	योग : (घ)	1.00
(ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	09	77665.00
	योग : 4801	77665.00
	योग : (ङ)	77665.00
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		
4853 - अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	04	150.00
योग : 4853		150.00
योग : (च)		150.00
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	58	1000.00
योग : 5053		1000.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	07	318105.00
योग : 5054		318105.00
योग : (छ)		319105.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	44	1002.00
योग : 5452		1002.00
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	40	121.00
योग : 5475		121.00
योग : (ज)		1123.00
योग : ग -		415271.15
पूंजीगत लेखा		556321.05
च - कर्ज तथा उधार		
6075 - विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	21	1347.00
योग : 6075		1347.00
6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज	37	14000.00
योग : 6215		14000.00
6404 - डेरी विकास के लिए कर्ज	16	1100.00
योग : 6404		1100.00
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	24	40000.00
योग : 6860		40000.00
च - कर्ज तथा उधार		56447.00

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : समेकत निधि	2449697.72

अनुदान संख्या 001

आबकारी विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	57453.22	5950.00	63403.22
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2625.00	2625.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	57453.22	8575.00	66028.22
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

04 - कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर, लखनऊ की स्थापना

60 - भूमि क्रय

2625.00

योग : 04 2625.00

योग : 051 2625.00

योग : 01 2625.00

योग : 4059 2625.00

योग : पूँजी लेखा 2625.00

योग : अनुपूरक 2625.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर, लखनऊ की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु रुपये 262500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	262661.74	58322.50	320984.24
	भारित	6.00	...	6.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	300.00	...	300.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	262961.74	58322.50	321284.24
	भारित	6.00	...	6.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

102 - लघु उद्योग

06 - जिला उद्योग केन्द्र

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

150.00

योग : 06

150.00

योग : 102

150.00

योग : 2851

150.00

2852 - उद्योग

80 - सामान्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - मुख्यालय

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

150.00

योग : 03

150.00

योग : 001

150.00

योग : 80

150.00

योग : 2852

150.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	300.00
योग : अनुपूरक	300.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जिला उद्योग केन्द्र के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय हेतु रुपये 15000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उद्योग निदेशालय के अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 15000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 004

उद्योग विभाग (खानों और खनिज)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	8139.95	518.00	8657.95
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	150.00	150.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	8139.95	668.00	8807.95
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4853 - अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय

01 - खनिज अन्वेषण तथा विकास

102 - खनिज अन्वेषण

04 - खनन विकास की योजनायें

0401 - एकमुश्त व्यवस्था

25 - लघु निर्माण कार्य

150.00

योग : 0401

150.00

योग : 04

150.00

योग : 102

150.00

योग : 01

150.00

योग : 4853

150.00

योग : पूँजी लेखा

150.00

योग : अनुपूरक

150.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भू-तत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ में वायरिंग बदलवाने एवं आपातकालीन सीढी के निर्माण हेतु रुपये 15000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 006

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	65457.62	31000.00	96457.62
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	8501.00	...	8501.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	73958.62	31000.00	104958.62
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

102 - लघु उद्योग

06 - संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1.00

योग : 06

1.00

योग : 102

1.00

103 - हथकरघा उद्योग

04 - पी.एम.मिन्न पार्क के संचालन से संबंधित विविध व्यय

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

8500.00

योग : 04

8500.00

योग : 103

8500.00

योग : 2851

8501.00

योग : राजस्व लेखा

8501.00

योग : अनुपूरक

8501.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सन्त कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।

2. पी.एम.मिन्न पार्क के संचालन के लिए वृक्षों के पातन एवं उनके सापेक्ष वृक्षारोपण सम्बन्धी शुल्क के भुगतान हेतु ढुमये 850000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-19 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	777663.78	1739020.12	2516683.90
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	169316.42	318105.00	487421.42
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	946980.20	2057125.12	3004105.32
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2852 - उद्योग

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - "त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020" का क्रियान्वयन

42 - अन्य व्यय

7500.00

योग : 03

7500.00

12 - फर्रैन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट (एफ.डी.आई.) एवं फार्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023

42 - अन्य व्यय

37169.75

योग : 12

37169.75

20 - उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021

42 - अन्य व्यय

2303.00

योग : 20

2303.00

28 - उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022

42 - अन्य व्यय

82343.67

योग : 28

82343.67

योग : 800

129316.42

योग : 80

129316.42

		धनराशि
योग : 2852		129316.42
2885 - उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय		
60 - अन्य		
800 - अन्य व्यय		
19 - अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन		
27 - सब्सिडी		10000.00
योग : 19		10000.00
20 - नई औद्योगिक नीति		
42 - अन्य व्यय		30000.00
योग : 20		30000.00
योग : 800		40000.00
योग : 60		40000.00
योग : 2885		40000.00
योग : राजस्व लेखा		169316.42

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

07 - गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

10000.00

योग : 07

10000.00

14 - गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वी.जी.एफ. धनराशि

24 - वृहत् निर्माण कार्य

183500.00

योग : 14

183500.00

19 - जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेस-वे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे

60 - भूमि क्रय

124600.00

योग : 19

124600.00

योग : 337

318100.00

800 - अन्य व्यय

03 - आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे कि0 मी0 292 मे बांयी ओर नये जनसुविधा परिसर एवं वाहन पकिंग स्थल

24 - वृहत् निर्माण कार्य

5.00

	धनराशि
योग : 03	5.00
योग : 800	5.00
योग : 03	318105.00
योग : 5054	318105.00
योग : पूँजी लेखा	318105.00
योग : अनुपूरक	487421.42

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के कार्यान्वयन हेतु रुपये 750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट एवं फॉर्चून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 के अन्तर्गत पात्र निवेशकों को देय प्रोत्साहन हेतु रुपये 3716975000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अन्तर्गत पात्र निवेशकों को देय प्रोत्साहन हेतु रुपये 230300000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत पात्र निवेशकों को देय प्रोत्साहन हेतु रुपये 8234367000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति-2012 के कार्यान्वयन हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के कार्यान्वयन हेतु रुपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए बी.जी.एफ हेतु रुपये 1835000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे रुपये 1246000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किमी. 292 में बायीं ओर नये जन सुविधा परिसर एवं वाहन पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु रुपये 500000 की प्रतीक आवश्यकता । आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी ।

अनुदान संख्या 008

उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	28214.35	3625.50	31839.85
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	100.00	...	100.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	28314.35	3625.50	31939.85
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2058 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधिष्ठान (मुख्यालय)

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

100.00

योग : 03

100.00

योग : 001

100.00

योग : 2058

100.00

योग : राजस्व लेखा

100.00

योग : अनुपूरक

100.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के अन्तर्गत ई-ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3175483.69	2160825.49	5336309.18
	भारित	214529.95	440570.37	655100.32
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	374445.00	77665.00	452110.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3549928.69	2238490.49	5788419.18
	भारित	214529.95	440570.37	655100.32

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

800 - अन्य व्यय

09 - रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

374445.00

योग : 09

374445.00

योग : 800

374445.00

योग : 05

374445.00

योग : 2801

374445.00

योग : राजस्व लेखा

374445.00

पूँजी लेखा-----

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

05 - संचरण तथा वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

08 - उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी

30 - निवेश/ऋण

50000.00

	धनराशि
योग : 08	50000.00
09 - टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु अंशपूँजी 30 - निवेश/ऋण	17665.00
योग : 09	17665.00
25 - प्रदेश में संचालित रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के कार्यों यथा हॉनियों में कमी के कार्य, आई.टी./ओ.टी. के कार्य तथा आर्मर्ड केबल के कार्य हेतु एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति 30 - निवेश/ऋण	10000.00
योग : 25	10000.00
योग : 190	77665.00
योग : 05	77665.00
योग : 4801	77665.00
योग : पूँजी लेखा	77665.00
योग : अनुपूरक	452110.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. रिवेम्प डिस्ट्रीब्यूशन के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को हानियों की फण्डिंग हेतु रुपये 37444500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु रुपये 5000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रुपये 1766500000 की आवश्यकता ।
4. प्रदेश में संचालित रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के कार्यों यथा-हानियों में कमी के कारण, आई. टी./ओ.टी. के कार्य तथा आर्मर्ड के केबल के कार्य हेतु एस.जी.एस.टी की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 010

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-26 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	230266.12	9864.83	240130.95
	भारित	344.76	...	344.76
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2666.34	...	2666.34
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	232932.46	9864.83	242797.29
	भारित	344.76	...	344.76

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 - फसल कृषि कर्म

001 - निदेशन तथा प्रशासन

05 - जिला व मण्डलीय कार्यालय

42 - अन्य व्यय

23.00

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

127.00

योग : 05

150.00

योग : 001

150.00

119 - बागवानी तथा वनस्पति की फसलें

03 - नर्सरी

0303 - उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

21.00

योग : 0303

21.00

योग : 03

21.00

05 - मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना

27 - सब्सिडी

2000.00

योग : 05

2000.00

06 - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्व्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन

	धनराशि
09 - विद्युत देय	2.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.40
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	2.00
29 - अनुरक्षण	72.00
42 - अन्य व्यय	120.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.60
योग : 06	200.00
योग : 119	2221.00
योग : 2401	2371.00

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

107 - रेशम उत्पादन उद्योग

05 - मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना

02 - मजदूरी	11.19
27 - सप्लाइ	139.87
42 - अन्य व्यय	71.49
43 - सामग्री एवं सम्पूति	5.60
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	58.19
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	9.00
योग : 05	295.34
योग : 107	295.34
योग : 2851	295.34

योग : राजस्व लेखा 2666.34

योग : अनुपूरक 2666.34

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. औद्योगिक एवं रेशम विकास विभाग के जिला व मण्डलीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु रुपये 15000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निर्यात प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन हेतु रुपये 2100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु रुपये 200000000 की आवश्यकता ।
4. पी. एम. एफ. एम. ई-योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर्स के संचालन हेतु रुपये 20000000 की आवश्यकता ।
5. मुख्यमंत्री रेशम विकास योजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 29534000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-55 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	791176.89	116327.07	907503.96
	भारित	320.05	...	320.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	7764.45	2695.00	10459.45
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	798941.34	119022.07	917963.41
	भारित	320.05	...	320.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 - फसल कृषि कर्म

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	49.25
29 - अनुरक्षण	3.00
42 - अन्य व्यय	36.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	338.90
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	72.85

योग : 03 500.00

योग : 001 500.00

103 - बीज

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101 - बीज गुण नियंत्रण योजना (के.100/रा.0-के.)

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	614.00
---	--------

योग : 0101 614.00

योग : 01 614.00

	धनराशि
योग : 103	614.00
109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	
04 - रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10.00
योग : 04	10.00
योग : 109	10.00
114 - तिलहन विकास	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101 - नेशनल फूड सिक््योरिटी मिशन (ओ 0 एस 0 / टी0 बी0 ओ 0) (के.60/रा.40-के.+ रा.)	
27 - सब्सिडी	2070.85
42 - अन्य व्यय	2.54
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100.95
योग : 0101	2174.34
0125 - नेशनल मिशन ऑन एडिबलि ऑयल (के.100/रा.00-के.)	
27 - सब्सिडी	46.11
42 - अन्य व्यय	400.00
योग : 0125	446.11
योग : 01	2620.45
योग : 114	2620.45
800 - अन्य व्यय	
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
0203 - कृषि विकास योजनायें (के.60/रा.40-के.)	
27 - सब्सिडी	2000.00
35 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1000.00
42 - अन्य व्यय	1000.00
योग : 0203	4000.00
योग : 02	4000.00
योग : 800	4000.00
योग : 2401	7744.45

2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

80 - सामान्य

120 - अन्य संस्थाओं को सहायता

06 - उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

धनराशि

20.00

योग : 06 20.00

योग : 120 20.00

योग : 80 20.00

योग : 2415 20.00

योग : राजस्व लेखा 7764.45

पूँजी लेखा-----

4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय

500.00

योग : 03 500.00

योग : 001 500.00

103 - बीज

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - बीज गुण नियंत्रण योजना (के.100/रा.00-के.)

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

195.00

योग : 0101 195.00

योग : 01 195.00

योग : 103 195.00

114 - तिलहन विकास

01 - केन्द्र प्रयोजित योजनाएँ

0101 - नेशनल मिशन ऑन एडिबिलि ऑयल (के.100/रा.0-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

500.00

योग : 0101 500.00

	धनराशि
योग : 01	500.00
योग : 114	500.00

800 - अन्य व्यय

02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

0201 - कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें (के.60/रा.40-के.+ रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	300.00

योग : 0201 1300.00

योग : 02 1300.00

योग : 800 1300.00

योग : 4401 2495.00

4415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

277 - शिक्षा

29 - कृषि विश्वविद्यालय, बांदा

2906 - कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य	200.00
--------------------------	--------

योग : 2906 200.00

योग : 29 200.00

योग : 277 200.00

योग : 80 200.00

योग : 4415 200.00

योग : पूंजी लेखा 2695.00

योग : अनुपूरक 10459.45

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कृषि निदेशालय के अधिष्ठान की विभिन्न मानक मद में धनराशि रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. बीज गुण नियंत्रण योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व पक्ष में रूपये 614.00 लाख एवं पूंजीगत पक्ष में रूपये 195.00 लाख अर्थात कुल रूपये 80900000 की आवश्यकता ।
3. राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा में ई-ऑफिस के लागू किये जाने हेतु रूपये 1000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

4. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (आयल शीड्स/टी.बी.ओ) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रुपये 217434000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयल के क्रियान्वयन हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 44611000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 400000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् (उपकार), लखनऊ में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किये जाने हेतु रुपये 2000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. कृषि निदेशालय में वाहनों के क्रय हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयल के क्रियान्वयन हेतु पूंजीगत पक्ष में रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु पूंजीगत पक्ष में रुपये 130000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा के अन्तर्गत कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय के निर्माण हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-18 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1497646.71	104926.00	1602572.71
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	20000.00	2551.00	22551.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1517646.71	107477.00	1625123.71
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

11 - पंचायती राज चुनाव हेतु व्यवस्था

42 - अन्य व्यय

18289.00

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

1711.00

योग : 11

20000.00

योग : 800

20000.00

योग : 2515

20000.00

योग : राजस्व लेखा

20000.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

03 - राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय भवन का निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

750.00

60 - भूमि क्रय

1700.00

योग : 03

2450.00

04 - जिला पंचायत, शाहजहाँपुर के नवीन कार्यालय भवन, मीटिंग हॉल एवं पार्किंग स्थल का निर्माण

	धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	100.00
योग : 04	100.00
योग : 051	2550.00
योग : 01	2550.00
योग : 4059	2550.00
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02 - समाज कल्याण	
800 - अन्य व्यय	
03 - प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन/बारात घर का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 03	1.00
योग : 800	1.00
योग : 02	1.00
योग : 4235	1.00
योग : पूंजी लेखा	2551.00
योग : अनुपूरक	22551.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारी हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य निर्वाचन आयोग, उ.प्र. के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रुपये 245000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. जिला पंचायत, शाहजहाँपुर के भवन निर्माण हेतु रुपये 10000000 की आवश्यकता ।
4. प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन/बारात घर के निर्माण हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-22 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	434058.14	33324.71	467382.85
	भारित	13.79	...	13.79
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1495.50	532.15	2027.65
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	435553.64	33856.86	469410.50
	भारित	13.79	...	13.79

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2403 - पशु पालन

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - निदेशालय

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 86.00

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय 14.00

योग : 03 100.00

योग : 001 100.00

101 - पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य

07 - पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढीकरण

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 10.00

29 - अनुरक्षण 14.00

39 - औषधि तथा रसायन 19.00

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान 2.50

योग : 07 45.50

15 - थनैला रोग नियंत्रण एवं निदान योजना (रा0 यो0)

18 - प्रकाशन 15.30

39 - औषधि तथा रसायन 444.00

42 - अन्य व्यय 13.87

	धनराशि
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	13.87
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6.48
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6.48
योग : 15	500.00
योग : 101	545.50
107 - चारा और चारागाह विकास	
04 - उत्तर प्रदेश चारा नीति (2024-29) के अन्तर्गत गो आश्रय स्थल से सम्बद्ध एवं अन्य गोचर चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन की योजना	
43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	650.00
योग : 04	650.00
योग : 107	650.00
800 - अन्य व्यय	
06 - पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00
योग : 06	200.00
योग : 800	200.00
योग : 2403	1495.50
योग : राजस्व लेखा	1495.50
पूँजी लेखा-----	
4403 - पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	
101 - पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	
19 - पशु जैविक औषधि संस्थान	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	137.65
योग : 19	137.65
योग : 101	137.65
102 - पशु तथा भैस विकास	
08 - अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ-हापुड का सुदृढीकरण (राज्य योजना)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	100.00
योग : 08	100.00
09 - अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेडा, लखनऊ का सुदृढीकरण (राज्य योजना)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	200.00

अनुदान संख्या 016

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	36322.95	4014.69	40337.64
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2650.00	1100.00	3750.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	38972.95	5114.69	44087.64
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2404 - डेरी विकास

102 - डेरी विकास परियोजनायें

03 - दुग्ध विकास कार्यक्रम

0302 - पी.सी.डी.एफ. की विपणन व्यवस्था का सुदृढीकरण

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

योग : 0302

500.00

0305 - सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण

27 - सन्डिडी

150.00

योग : 0305

150.00

योग : 03

650.00

04 - वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2000.00

योग : 04

2000.00

योग : 102

2650.00

योग : 2404

2650.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	2650.00
<hr/>	
पूँजी लेखा-----	
6404 - डेरी विकास के लिए कर्ज	
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
03 - जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु पी.सी.डी.एफ. को ऋण	
30 - निवेश/ऋण	1100.00
योग : 03	1100.00
योग : 190	1100.00
योग : 6404	1100.00
योग : पूँजी लेखा	1100.00
योग : अनुपूरक	3750.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पी.सी.डी.एफ. की विपणन व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु पराग ब्राण्ड की स्ट्रेन्थनिंग एवं मार्केटिंग सपोर्ट के लिए कन्सल्टेन्ट हायर किये जाने हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
2. पी.सी.डी.एफ.लि. में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन एवं डेरी प्लान्ट में ई.आर.पी. सिस्टम स्थापित किए जाने हेतु रुपये 15000000 की आवश्यकता ।
3. वर्तमान दुग्ध संघों को सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान दिए जाने हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. जनपद-मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं के संचालन के लिए पी.सी.डी.एफ. को ऋण दिए जाने हेतु रुपये 110000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 018

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-13 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	126010.55	5740.20	131750.75
	भारित	703.00	2850.00	3553.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	515.71	2000.00	2515.71
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	126526.26	7740.20	134266.46
	भारित	703.00	2850.00	3553.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2425 - सहकारिता

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 219.71

योग : 03 219.71

06 - उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल

02 - मजदूरी 1.50

08 - कार्यालय व्यय 4.00

11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई 10.00

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 2.00

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 5.00

17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व 20.00

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 2.50

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय 1.00

योग : 06 46.00

योग : 001 265.71

003 - प्रशिक्षण

05 - सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान

	धनराशि
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	150.00
योग : 05	150.00
योग : 003	150.00
108 - अन्य सहकारी समितियों को सहायता	
07 - सहकार से समृद्धि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारिता के माध्य से विकास मॉडल विकसित करने हेतु सहकारी समितियों का डेटा बेस को तैयार किया जाना	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
योग : 07	100.00
योग : 108	100.00
योग : 2425	515.71
योग : राजस्व लेखा	515.71

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

800 - अन्य व्यय

03 - सरकारी / अर्द्ध सरकारी / बी-पैक्स भवनों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

	2000.00
योग : 03	2000.00
योग : 800	2000.00
योग : 01	2000.00
योग : 4059	2000.00
योग : पूँजी लेखा	2000.00
योग : अनुपूरक	2515.71

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सहकारिता विभाग के अन्तर्गत वाहन सेवाओं के क्रय हेतु रुपये 21971000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश सहकारी सेवा मण्डल, लखनऊ को विभिन्न मानक मदों हेतु रुपये 4600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान हेतु रुपये 15000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. सहकारिता के माध्यम से विकास माडल विकसित किए जाने के लिए सहकारी समितियों का डेटा बेस तैयार किए जाने हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ बी पैक्स भवनों पर सोलर स्पटाफ की स्थापना हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 019

कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-19 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1758.17	5000.00	6758.17
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2558.00	2558.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1758.17	7558.00	9316.17
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

003 - प्रशिक्षण

03 - उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी

0302 - डा0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2558.00

योग : 0302

2558.00

योग : 03

2558.00

योग : 003

2558.00

योग : 4070

2558.00

योग : पूँजी लेखा

2558.00

योग : अनुपूरक

2558.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. डॉ राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी,लखनऊ के निर्माण कार्य की अंतिम किश्त के भुगतान हेतु रुपये 255800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 020

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	14571.25	6000.00	20571.25
	भारित	13769.17	302.00	14071.17
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय
	भारित	8000.00	...	8000.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	14571.25	6000.00	20571.25
	भारित	21769.17	302.00	22071.17

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2051 - लोक सेवा आयोग

102 - राज्य लोक सेवा आयोग

03 - राज्य लोक सेवा आयोग

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

मतदेय

--

भारित

5000.00

23 - गुप्त सेवा व्यय

मतदेय

--

भारित

3000.00

योग : 03

मतदेय

--

भारित

8000.00

योग : 102

मतदेय

--

भारित

8000.00

योग : 2051

मतदेय

--

भारित

8000.00

योग : राजस्व लेखा

मतदेय

--

भारित

8000.00

योग : अनुपूरक

मतदेय

--

भारित

8000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा परीक्षाओं के आयोजन में प्राप्त की गई सिक्योरिटी इन सैलरी सर्विसेज सेवाओं के भुगतान हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं को और अधिक कुशलतापूर्वक न्टिरहित, शुचिता एवं गुणधर्मिता के साथ सम्पन्न कराये जाने हेतु गुप्त सेवा व्यय

हेतु स्मये 300000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 021

खाघ तथा रसद विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-14 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	224958.07	1731338.70	1956296.77
	भारित	6.00	...	6.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1347.00	1347.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	224958.07	1732685.70	1957643.77
	भारित	6.00	...	6.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

6075 - विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज

800 - अन्य कर्ज

03 - उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को कर्ज

30 - निवेश/ऋण

1347.00

योग : 03 1347.00

योग : 800 1347.00

योग : 6075 1347.00

योग : पूँजी लेखा 1347.00

योग : अनुपूरक 1347.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को ऋण दिये जाने हेतु रुपये 134700000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-14 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	32415.91	60777.27	93193.18
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1.00	1.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	32415.91	60778.27	93194.18
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03 - खेलकूद तथा युवा सेवा

800 - अन्य व्यय

14 - जनपद गोरखपुर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1.00

योग : 14

1.00

योग : 800

1.00

योग : 03

1.00

योग : 4202

1.00

योग : पूँजी लेखा

1.00

योग : अनुपूरक

1.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जनपद-गोरखपुर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7253.85	69651.98	76905.83
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	40000.00	40000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7253.85	109651.98	116905.83
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04 - चीनी

101 - सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

03 - उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज

30 - निवेश/ऋण

40000.00

योग : 03 40000.00

योग : 101 40000.00

योग : 04 40000.00

योग : 6860 40000.00

योग : पूँजी लेखा 40000.00

योग : अनुपूरक 40000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण दिये जाने हेतु रुपये 4000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-56 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	821232.93	514918.34	1336151.27
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	40718.30	46.00	40764.30
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	861951.23	514964.34	1376915.57
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी

110 - अस्पताल तथा औषधालय

08 - चिकित्सालयों और औषधालयों के प्रयोजनों हेतु अनुदान

0801 - नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आर्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च सीतापुर को अनुदान

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

174.14

योग : 0801

174.14

योग : 08

174.14

योग : 110

174.14

योग : 01

174.14

05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

03 - शिक्षा

0308 - कैसर संस्थान, लखनऊ

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

500.00

	धनराशि
योग : 0308	1000.00
0309 - संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्यविज्ञान संस्थान लखनऊ	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2001.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	10001.00
0312 - सेन्टर ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, लखनऊ	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	100.00
योग : 0312	100.00
0319 - हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा	
39 - औषधि तथा रसायन	1000.00
योग : 0319	1000.00
0324 - राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00
योग : 0324	50.00
0325 - डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2000.00
योग : 0325	2000.00
0326 - राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	18.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00
योग : 0326	218.00
0328 - सरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	73.09
योग : 0328	73.09
0338 - मेडिकल कालेज आगरा	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00

	धनराशि
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	700.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00
योग : 0338	950.00
0339 - गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	75.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	400.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	400.00
योग : 0339	875.00
0340 - मेडिकल कालेज प्रयागराज	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	200.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	350.00
योग : 0340	600.00
0341 - मेडिकल कालेज मेरठ	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	65.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1000.00
योग : 0341	1065.00
0342 - मेडिकल कालेज झांसी	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	85.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	100.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	200.00
योग : 0342	385.00
0343 - मेडिकल कालेज गोरखपुर	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7.19
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	500.00
योग : 0343	507.19

	धनराशि
0344 - गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00
योग : 0344	50.00
0345 - डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	8.97
योग : 0345	8.97
0348 - मेडिकल कालेज, एटा	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	200.00
योग : 0348	200.00
0349 - मेडिकल कालेज, हरदोई	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	750.00
योग : 0349	750.00
0350 - मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1000.00
योग : 0350	1500.00
0351 - मेडिकल कालेज, फतेहपुर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	450.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	100.00
योग : 0351	550.00
0352 - मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	550.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1000.00
योग : 0352	1550.00
0353 - मेडिकल कालेज, देवरिया	

	धनराशि
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	400.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	200.00
योग : 0353	600.00
0354 - मेडिकल कालेज, गाजीपुर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	550.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1000.00
योग : 0354	1550.00
0355 - मेडिकल कालेज, मीरजापुर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	550.00
योग : 0355	550.00
0366 - किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	2500.00
योग : 0366	2500.00
0370 - सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोयडा की स्थापना	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	200.00
योग : 0370	200.00
0371 - चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	200.00
योग : 0371	700.00
0374 - राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00
योग : 0374	50.00
0381 - मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00

	धनराशि
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	200.00
योग : 0381	250.00
0382 - मेडिकल कालेज, बस्ती	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	250.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	800.00
योग : 0382	1050.00
0383 - मेडिकल कालेज, अयोध्या	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	200.00
योग : 0383	700.00
0384 - मेडिकल कालेज, बहराइच	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	400.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	200.00
योग : 0384	600.00
0385 - मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	550.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	800.00
योग : 0385	1350.00
0386 - राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	500.00
योग : 0386	500.00
0393 - फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1500.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	3000.00
योग : 0393	4500.00

		धनराशि
योग : 03		40534.25
05 - अनुसंधान		
0501 - जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर		
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		9.91
योग : 0501		9.91
योग : 05		9.91
योग : 105		40544.16
योग : 05		40544.16
योग : 2210		40718.30
योग : राजस्व लेखा		40718.30

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

03 - चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

03 - संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1.00

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 1.00

योग : 03 2.00

11 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

1101 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1.00

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 1.00

योग : 1101 2.00

1102 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1.00

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 1.00

योग : 1102 2.00

1103 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़

	धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1103	2.00
1104 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1104	2.00
1105 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1105	2.00
1106 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1106	2.00
1107 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1107	2.00
1108 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1108	2.00
1109 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00

	धनराशि
योग : 1109	2.00
1110 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनिं और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1110	2.00
1111 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनिं और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1111	2.00
1112 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनिं और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1112	2.00
1113 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनिं और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1113	2.00
1114 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनिं और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1114	2.00
1115 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनिं और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1115	2.00

	धनराशि
1116 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1116	2.00
1117 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सोनभद्र	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1117	2.00
1118 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1118	2.00
1119 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, औरैया	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1119	2.00
1120 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर देहात	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1120	2.00
1121 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौशाम्बी	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1.00
योग : 1121	2.00
1122 - स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00

	धनराशि
	1.00
योग : 1122	2.00
योग : 11	44.00
योग : 105	46.00
योग : 03	46.00
योग : 4210	46.00
योग : पूँजी लेखा	46.00
योग : अनुपूरक	40764.30

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आर्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च सीतापुर को वेतन अनुदान हेतु रुपये 17414000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. कैसर संस्थान, लखनऊ को विभिन्न मदों हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ को विभिन्न मदों हेतु रुपये 200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ को विभिन्न मदों हेतु रुपये 1200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ को वेतन अनुदान हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. हीमोफीलिया रोग की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत औषधि तथा रसायन हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ को वेतन अनुदान हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा को विभिन्न मदों हेतु रुपये 21800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. सरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा को गैर वेतन अनुदान हेतु रुपये 7309000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. मेडिकल कालेज, आगरा को विभिन्न मदों हेतु रुपये 95000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर को विभिन्न मदों हेतु रुपये 87500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
13. मेडिकल कालेज, प्रयागराज को विभिन्न मदों हेतु रुपये 60000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
14. मेडिकल कालेज, मेरठ को विभिन्न मदों हेतु रुपये 106500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
15. मेडिकल कालेज, झांसी को विभिन्न मदों हेतु रुपये 38500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
16. मेडिकल कालेज, गोरखपुर को विभिन्न मदों हेतु रुपये 50719000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
17. गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट को व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
18. डिग्री पाठक्रमों के लिये स्थापित नर्सिंग कालेज को व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु रुपये 897000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
19. मेडिकल कालेज, एटा को वेतन अनुदान हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
20. मेडिकल कालेज, हरदोई को गैर वेतन अनुदान हेतु रुपये 75000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
21. मेडिकल कालेज, प्रतापगढ़ को विभिन्न मदों हेतु रुपये 150000000 की आवश्यकता ।
22. मेडिकल कालेज, फतेहपुर को विभिन्न मदों हेतु रुपये 55000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
23. मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर को विभिन्न मदों हेतु रुपये 155000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
24. मेडिकल कालेज, देवरिया को विभिन्न मदों हेतु रुपये 60000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

25. मेडिकल कालेज, गाजीपुर को विभिन्न मदों हेतु रुपये 155000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
26. मेडिकल कालेज, मीरजापुर को गैर वेतन अनुदान हेतु रुपये 55000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
27. किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को वेतन अनुदान हेतु रुपये 250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
28. सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना के लिए वेतन अनुदान हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
29. चिकित्सा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा की स्थापना के लिए विभिन्न मदों हेतु रुपये 70000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
30. राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं को व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
31. मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद को विभिन्न मदों हेतु रुपये 25000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
32. मेडिकल कालेज, बस्ती को विभिन्न मदों हेतु रुपये 105000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
33. मेडिकल कालेज, अयोध्या को विभिन्न मदों हेतु रुपये 70000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
34. मेडिकल कालेज, बहराइच को विभिन्न मदों हेतु रुपये 60000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
35. मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर को विभिन्न मदों हेतु रुपये 135000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
36. राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर को वेतन अनुदान हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
37. फेज-III के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न मदों हेतु रुपये 450000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
38. जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर को व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु रुपये 991000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
39. संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ को विभिन्न मदों हेतु रुपये 200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
40. जनपद-एटा, हरदोई, प्रतापगढ, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मीरजापुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्यांश के रूप में प्रति महाविद्यालय रुपये 200000 अर्थात् इस हेतु रुपये कुल 1600000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।
41. जनपद-बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी एवं अमेठी में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्यांश के रूप में प्रति महाविद्यालय रुपये 200000 अर्थात् इस हेतु रुपये कुल 2800000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।

अनुदान संख्या 032

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-19 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1193162.11	88621.01	1281783.12
	भारित	20.00	...	20.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	30000.00	...	30000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1223162.11	88621.01	1311783.12
	भारित	20.00	...	20.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

110 - अन्य बीमा योजनायें

06 - आयुष्मान भारत - मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना

42 - अन्य व्यय

30000.00

योग : 06 30000.00

योग : 110 30000.00

योग : 60 30000.00

योग : 2235 30000.00

योग : राजस्व लेखा 30000.00

योग : अनुपूरक 30000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजनान्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों के लम्बित एवं प्राप्त होने वाले चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु रुपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 035

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-27 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1230050.09	405442.24	1635492.33
	भारित	40.00	...	40.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	196505.00	...	196505.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1426555.09	405442.24	1831997.33
	भारित	40.00	...	40.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2211 - परिवार कल्याण

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय

76505.00

योग : 0101

76505.00

योग : 01

76505.00

योग : 800

76505.00

योग : 2211

76505.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

110 - अन्य बीमा योजनाएँ

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101 - आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (के.60/रा.40-रा.)

42 - अन्य व्यय

120000.00

योग : 0101

120000.00

	धनराशि
योग : 01	120000.00
योग : 110	120000.00
योग : 60	120000.00
योग : 2235	120000.00
योग : राजस्व लेखा	196505.00
योग : अनुपूरक	196505.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्पये 7650500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजनान्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों के लम्बित एवं प्राप्त होने वाले चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु स्पये 12000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-25 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2162123.71	65100.00	2227223.71
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	109648.00	64000.00	173648.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2271771.71	129100.00	2400871.71
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2215 - जल पूर्ति तथा सफाई

01 - जलपूर्ति

101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम

06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

12500.00

योग : 06

12500.00

योग : 101

12500.00

योग : 01

12500.00

02 - मल-जल तथा सफाई

107 - मल - जल सेवाएं

03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

17500.00

योग : 03

17500.00

योग : 107

17500.00

योग : 02

17500.00

योग : 2215

30000.00

2217 - शहरी विकास

05 - अन्य शहरी विकास योजनाये

051 - निर्माण

04 - प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के घटक भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) के अन्तर्गत दुर्लभ आय वर्ग के भवनों में बाह्य विकास कार्य

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 7392.00

योग : 04 7392.00

योग : 051 7392.00

योग : 05 7392.00

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

11 - प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 5000.00

योग : 11 5000.00

15 - नगरीय निकायों में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु

42 - अन्य व्यय 2500.00

योग : 15 2500.00

17 - प्रदेश के नगर निकायों के मार्ग प्रकाश एवं जलकल के विद्युत देयों के भुगतान हेतु

42 - अन्य व्यय 62256.00

योग : 17 62256.00

योग : 800 69756.00

योग : 80 69756.00

योग : 2217 77148.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

06 - निराश्रित श्वानों हेतु ए.बी.सी./डॉग केयर सेन्टर निर्माण एवं संचालन तथा श्वानों के बंध्याकरण/टीकाकरण योजना

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 2000.00

42 - अन्य व्यय 500.00

योग : 06 2500.00

योग : 800 2500.00

योग : 60 2500.00

	धनराशि
योग : 2235	2500.00
योग : राजस्व लेखा	109648.00
पूँजी लेखा-----	
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
07 - महाकुम्भ मेला, 2025, प्रयागराज	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	50000.00
योग : 07	50000.00
योग : 800	50000.00
योग : 4070	50000.00
6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज	
02 - मल-जल तथा सफाई	
191 - नगर निगमों को सहायता	
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	
30 - निवेश/ऋण	2350.00
योग : 05	2350.00
योग : 191	2350.00
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता	
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	
30 - निवेश/ऋण	3525.00
योग : 05	3525.00
योग : 192	3525.00
193 - नगर पंचायतों / अधिस्थित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता	
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना	
30 - निवेश/ऋण	8125.00
योग : 05	8125.00
योग : 193	8125.00
योग : 02	14000.00
योग : 6215	14000.00
योग : पूँजी लेखा	64000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. समस्त नगरीय निकायों में पेयजल की समुचित सुविधा हेतु राज्य सेक्टर की पेयजल योजनान्तर्गत स्वीकृत अवशेष कार्य हेतु रुपये 1250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य सेक्टर की सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत अवशेष स्वीकृत कार्य हेतु रुपये 1750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए.एच.पी. घटक के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों में बाह्य विकास कार्य यथा-ट्रंक लाइन जलापूर्ति ट्रंक ड्रेन, सीवर लाइन आदि हेतु रुपये 739200000 की आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वंदन योजना के अन्तर्गत रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. उत्तर प्रदेशके नगरीय निकायों में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु कराये जाने वाले कार्यों के लिए रुपये 250000000 की आवश्यकता ।
6. उत्तर प्रदेश के नगर निकायों के मार्गप्रकाश एवं जलकल मद में बकाया विद्युत देयों के भुगतान हेतु रुपये 6225600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. उत्तर प्रदेशके नगरीय क्षेत्रों के निराश्रित श्वान एवं अन्य एवं अन्य पशुओं की उचित देखभाल, ए.वी.सी/डॉग केयर सेंटर निर्माण तथा संचालन एवं श्वानों के बंध्याकरण/टीकाकरण हेतु रुपये 250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. महाकुम्भ मेला-2025 प्रयागराज में विभिन्न परियोजनाओं में अवशेष देनदारी के भुगतान हेतु रुपये 5000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. नगरीय निकायों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए पं.दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना हेतु रुपये 1400000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-38 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	59867.28	350389.25	410256.53
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5017.40	121.00	5138.40
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	64884.68	350510.25	415394.93
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

02 - पिछड़े क्षेत्र

800 - अन्य व्यय

04 - बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें

0401 - बुन्देलखण्ड एकीकृत कृषि विकास योजना (सोलर फेन्सिंग) (के.100/रा.00-के.)

42 - अन्य व्यय

3047.00

योग : 0401

3047.00

योग : 04

3047.00

योग : 800

3047.00

योग : 02

3047.00

योग : 2575

3047.00

3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें

101 - योजना आयोग/योजना बोर्ड

05 - स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन

04 - यात्रा व्यय

19.00

07 - मानदेय

19.00

	धनराशि
08 - कार्यालय व्यय	16.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	48.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00
13 - टेलीफोन पर व्यय	5.50
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18.00
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50.00
22 - अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	30.00
29 - अनुरक्षण	5.00
42 - अन्य व्यय	183.50
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	90.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	30.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	40.00
49 - चिकित्सा व्यय	3.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	41.00
64 - रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट	100.00
	योग : 05
	704.00
06 - मुख्यमन्त्री फेलोशिप कार्यक्रम	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	18.40
	योग : 06
	18.40
	योग : 101
	722.40
	योग : 3451
	722.40
3454 - जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
001 - निदेशन तथा प्रशासन	
07 - " प्रदेश की अर्थ व्यवस्था वन ट्रिलियन डालर के स्तर पर लाया जाना "	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1248.00
	योग : 07
	1248.00
	योग : 001
	1248.00
	योग : 02
	1248.00
	योग : 3454
	1248.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	5017.40
<hr/>	
पूँजी लेखा-----	
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
06 - स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	20.00
25 - लघु निर्माण कार्य	100.00
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.00
	<hr/>
योग : 06	121.00
	<hr/>
योग : 800	121.00
	<hr/>
योग : 5475	121.00
	<hr/>
योग : पूँजी लेखा	121.00
	<hr/>
योग : अनुपूरक	5138.40

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. बुन्देलखण्ड एकीकृत विकास योजना(सोलर फेंसिंग) के कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु रुपये 304700000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के संचालन हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 70400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. मुख्यमंत्री फैलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत शोधार्थियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रुपये 1840000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने हेतु व्यवसायिक-एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु रुपये 124800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन में पूंजीगत पक्ष में रुपये 12100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-36 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	465242.87	329875.00	795117.87
	भारित	110900.92	750.00	111650.92
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	13000.00	...	13000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	478242.87	329875.00	808117.87
	भारित	110900.92	750.00	111650.92

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 - अन्य कार्यक्रम

12 - उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

8000.00

योग : 12

8000.00

20 - उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी कल्याण निधि हेतु अनावर्तक अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

5000.00

योग : 20

5000.00

योग : 200

13000.00

योग : 60

13000.00

योग : 2235

13000.00

योग : राजस्व लेखा

13000.00

योग : अनुपूरक

13000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अधिवक्ता कल्याण निधि को अनुदान हेतु रुपये 8000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी कल्याण निधि को

अनावर्तक अनुदान हेतु रुपये 500000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-13 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	68718.88	86334.00	155052.88
	भारित	0.01	...	0.01
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5000.00	1.00	5001.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	73718.88	86335.00	160053.88
	भारित	0.01	...	0.01

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

		(₹ लाख में)
		धनराशि
राजस्व लेखा-----		
3055 - सड़क परिवहन		
800 - अन्य व्यय		
06 - इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी		
27 - सब्सिडी		
		5000.00
योग : 06		5000.00
योग : 800		5000.00
योग : 3055		5000.00
योग : राजस्व लेखा		5000.00

		(₹ लाख में)
पूँजी लेखा-----		
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		
01 - कार्यालय भवन		
051 - निर्माण		
03 - परिवहन आयुक्त कार्यालय के भवन ब्लॉक-ए पर द्वितीय तल का निर्माण		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		
		1.00
योग : 03		1.00
योग : 051		1.00
योग : 01		1.00

	धनराशि
योग : 4059	1.00
योग : पूँजी लेखा	1.00
योग : अनुपूरक	5001.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन ब्लॉक ए पर द्वितीय तल के निर्माण कार्य हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी ।

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	23478.00	179128.00	202606.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	110.00	1002.00	1112.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	23588.00	180130.00	203718.00
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

राजस्व लेखा-----

3452 - पर्यटन

80 - सामान्य

104 - संवर्धन तथा प्रचार

06 - ईको पर्यटन का प्रचार-प्रसार

42 - अन्य व्यय

10.00

योग : 06

10.00

योग : 104

10.00

800 - अन्य व्यय

20 - उ.प्र. इको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100.00

योग : 20

100.00

योग : 800

100.00

योग : 80

110.00

योग : 3452

110.00

योग : राजस्व लेखा

110.00

पूँजी लेखा-----

5452 - पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

104 - संवर्धन तथा प्रचार

15 - श्री सोरो जी तीर्थ, कासगंज, उत्तर प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

	धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
योग : 15	1.00
16 - श्री कल्कि धाम तीर्थ, सम्भल में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
योग : 16	1000.00
17 - पेड आप कैपिटल फॉर एस.पी.वी. (विशेष परियोजना इकाई)	
30 - निवेश/ऋण	1.00
योग : 17	1.00
योग : 104	1002.00
योग : 80	1002.00
योग : 5452	1002.00
योग : पूँजी लेखा	1002.00
योग : अनुपूरक	1112.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश में ईको पर्यटन के प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 1000000 की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय, प्रचार-प्रसार आदि कार्यों हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. श्री सोरो जी तीर्थ, कासगंज क्षेत्र में श्रद्धालुओं को पर्यटन सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।
4. श्री कल्किधाम तीर्थ, सम्भल में श्रद्धालुओं हेतु पर्यटन अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास हेतु रुपये 100000000 की आवश्यकता ।
5. पर्यटन विभाग की महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन सुरक्षा व्यवस्था तथा रख-रखाव हेतु गठित होने वाली एस पी वी पेड अप कैपिटल हेतु पूँजीगत पक्ष में रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी।

अनुदान संख्या 045

पर्यावरण विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1312.62	19800.00	21112.62
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	446.30	...	446.30
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1758.92	19800.00	21558.92
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3435 - परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

04 - प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण

103 - वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण

03 - उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

207.15

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

117.15

योग : 03

324.30

योग : 103

324.30

800 - अन्य व्यय

05 - जिला पर्यावरण समिति

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

122.00

योग : 05

122.00

योग : 800

122.00

योग : 04

446.30

योग : 3435

446.30

योग : राजस्व लेखा

446.30

योग : अनुपूरक

धनराशि

446.30

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेशक्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट के राजस्व व्यय हेतु रुपये 32430000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
2. जिला पर्यावरण समिति में आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु रुपये 12200000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 046

प्रशासनिक सुधार विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3054.06	...	3054.06
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	46.95	...	46.95
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3101.01	...	3101.01
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

091 - संलग्न कार्यालय

04 - प्रशासनिक सुधार निदेशालय

49 - चिकित्सा व्यय

46.95

योग : 04

46.95

योग : 091

46.95

योग : 2052

46.95

योग : राजस्व लेखा

46.95

योग : अनुपूरक

46.95

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रशासनिक सुधार निदेशालय में चिकित्सा व्यय मद में रुपये 4695000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 047

प्राविधिक शिक्षा विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-22 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	97754.55	33622.90	131377.45
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	450.00	63445.70	63895.70
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	98204.55	97068.60	195273.15
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2203 - तकनीकी शिक्षा

112 - इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

11 - बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज, झाँसी को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	100.00

योग : 11 200.00

16 - उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	150.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	100.00

योग : 16 250.00

योग : 112 450.00

योग : 2203 450.00

योग : राजस्व लेखा 450.00

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

02 - तकनीकी शिक्षा

104 - बहुशिल्प

05 - प्राविधिक शिक्षा का कम्प्यूटिकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी निति का क्रियान्वयन

	धनराशि
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	200.00
योग : 05	200.00
12 - राजकीय पालीटेक्निक (पुरुष/महिला) का उन्नयन एवं सुदृढीकरण तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	223.00
योग : 12	223.00
14 - राजकीय पालीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलाजी से सुसज्जित उन्नयन/एक्सीलेंस सेंटर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	25803.75
60 - भूमि क्रय	35568.95
योग : 14	61372.70
60 - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पालीटेक्निक के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 60	500.00
योग : 104	62295.70
105 - इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान	
04 - मदनमोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
योग : 04	1000.00
18 - इंजीनियरिंग कालेजों की साज सज्जा हेतु	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	50.00
योग : 18	50.00
21 - प्राविधिक विश्वविद्यालयों / अभियन्त्रण संस्थाओं के पूर्व से निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	100.00
योग : 21	100.00
योग : 105	1150.00
योग : 02	63445.70
योग : 4202	63445.70
योग : पूँजी लेखा	63445.70
योग : अनुपूरक	63895.70

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. बुदेल्खंड इंजीनियरिंग कॉलेज, झाँसी को गैर वेतन एवं वेतन मद में सहायता अनुदान हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

2. उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को गैर वेतन तथा वेतन मद में सहायता अनुदान हेतु रुपये 25000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
3. प्राविधिक शिक्षा का कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
4. राजकीय पॉलिटेक्निक (पुरुष / महिला) का उन्नयन एवं सुदृढीकरण तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रुपये 22300000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
5. टाटा टेक्नोलॉजी लि. के माध्यम से राजकीय पॉलिटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन / एक्सीलेंस सेन्टर के भूमि क्रय एवं भवन निर्माण हेतु रुपये 6137270000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
6. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से आच्छादित राजकीय पॉलिटेक्निक के अवशेष निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने जाने हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
7. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में निर्माण कार्य हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
8. प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालय/अभियंत्रण संस्थान/घटक/सहयुक्त कॉलेजों हेतु मशीन एवं साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
9. प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित रुपये विश्वविद्यालय/अभियंत्रण संस्थान/घटक/सहयुक्त कॉलेजों के भवन के जीर्णोद्धार हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-22 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1352569.59	56066.32	1408635.91
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	53500.00	700.00	54200.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1406069.59	56766.32	1462835.91
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

103 - महिला कल्याण

15 - निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु अनुदान

1501 - जिला योजना

63 - सामाजिक पेंशन

53500.00

योग : 1501

53500.00

योग : 15

53500.00

योग : 103

53500.00

योग : 02

53500.00

योग : 2235

53500.00

योग : राजस्व लेखा

53500.00

पूँजी लेखा-----

4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

05 - राज्य सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

	धनराशि
	700.00
योग : 05	700.00
योग : 102	700.00
योग : 02	700.00
योग : 4235	700.00
योग : पूँजी लेखा	700.00
योग : अनुपूरक	54200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत रुपये 5350000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
2. प्रदेश में आँगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रुपये 70000000 की आवश्यकता।

अनुदान संख्या 050

राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	145329.80	32980.00	178309.80
	भारित	58.00	...	58.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1050.00	500.00	1550.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	146379.80	33480.00	179859.80
	भारित	58.00	...	58.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2053 - जिला प्रशासन

093 - जिला स्थापनाएं

03 - कलेक्टरी स्थापना

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

1000.00

योग : 03

1000.00

योग : 093

1000.00

101 - आयुक्त

03 - मुख्य कार्यालय

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

50.00

योग : 03

50.00

योग : 101

50.00

योग : 2053

1050.00

योग : राजस्व लेखा

1050.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 - अन्य भवन

051 - निर्माण

03 - उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्य के मध्य सीमा विवाद के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से बाउण्ड्री पिलर्स की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	धनराशि
	500.00
योग : 03	500.00
योग : 051	500.00
योग : 60	500.00
योग : 4059	500.00
योग : पूँजी लेखा	500.00
योग : अनुपूरक	1550.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कलेक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालयों में ई-ऑफिस के संचालन हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के क्रय हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
2. आयुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस के संचालन हेतु हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के क्रय हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
3. उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्य के मध्य सीमा विवाद पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ बाउंड्री पिलर्स की स्थापना हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता।

अनुदान संख्या 051

राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	354826.01	69180.28	424006.29
	भारित	76300.00	...	76300.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	125.03	2.00	127.03
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	354951.04	69182.28	424133.32
	भारित	76300.00	...	76300.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

03 - स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय (केन्द्रांश)

0301 - सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय

42 - अन्य व्यय

2.00

योग : 0301

2.00

0302 - बाढ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय

42 - अन्य व्यय

2.00

योग : 0302

2.00

0303 - चक्रवात राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय

42 - अन्य व्यय

2.00

योग : 0303

2.00

0304 - भूकम्प राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय

42 - अन्य व्यय

2.00

	धनराशि
योग : 0304	2.00
0305 - ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय	
42 - अन्य व्यय	2.00
योग : 0305	2.00
0306 - बादल फटने पर राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय	
42 - अन्य व्यय	2.00
योग : 0306	2.00
0307 - अग्निकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय	
42 - अन्य व्यय	2.00
योग : 0307	2.00
0308 - शीतलहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय	
42 - अन्य व्यय	2.00
योग : 0308	2.00
0309 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय	
42 - अन्य व्यय	2.00
योग : 0309	2.00
0310 - स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से व्यय	
42 - अन्य व्यय	2.00
योग : 0310	2.00
0311 - स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से सामान्य व्यय	
42 - अन्य व्यय	2.00
योग : 0311	2.00
योग : 03	22.00
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय	

	धनराशि
0611 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय	
42 - अन्य व्यय	101.03
योग : 0611	101.03
योग : 06	101.03
07 - नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय (केन्द्रांश)	
42 - अन्य व्यय	2.00
योग : 07	2.00
योग : 800	125.03
योग : 05	125.03
योग : 2245	125.03
योग : राजस्व लेखा	125.03
पूँजी लेखा-----	
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	
101 - प्राकृतिक आपदाएं	
04 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय (केन्द्रांश)	
42 - अन्य व्यय	2.00
योग : 04	2.00
योग : 101	2.00
योग : 4250	2.00
योग : पूँजी लेखा	2.00
योग : अनुपूरक	127.03

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. केन्द्रांश मद में विभिन्न आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 2200000 एवं नेशनल डिजास्टर फण्ड से व्यय हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 200000 तथा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय हेतु पूँजीगत पक्ष में रुपये 200000 अर्थात् इस हेतु रुपये कुल 2600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश राज्य में मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑल लाइटनिंग सेफ्टी (एम.पी.एल.एस.) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 10103000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 052

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-21 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	546214.59	3035.50	549250.09
	भारित	27.00	7.88	34.88
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	674.47	...	674.47
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	546889.06	3035.50	549924.56
	भारित	27.00	7.88	34.88

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2029 - भू-राजस्व

800 - अन्य व्यय

03 - खेतों की चकबन्दी

0301 - मुख्यालय

08 - कार्यालय व्यय	5.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00
13 - टेलीफोन पर व्यय	10.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	49.00

योग : 0301 100.00

0302 - जिला अधिष्ठान

05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50.00
08 - कार्यालय व्यय	25.00
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25.00
13 - टेलीफोन पर व्यय	41.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00

	धनराशि
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	49.00
योग : 0302	200.00
योग : 03	300.00
05 - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण	
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	147.77
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	226.70
योग : 05	374.47
योग : 800	674.47
योग : 2029	674.47
योग : राजस्व लेखा	674.47
योग : अनुपूरक	674.47

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. चकबन्दी आयुक्त मुख्यालय अधिष्ठान में अधिष्ठान व्यय तथा ई-ऑफिस संचालन व्यय हेतु रुपये 10000000 तथा जिला अधिष्ठान में अधिष्ठान एवं ई-ऑफिस संचालन व्यय हेतु रुपये 20000000 कुल रुपये 30000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणों में कम्प्यूटरीकरण समबन्धी व्यय हेतु रुपये 22670000 तथा गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि के व्यय हेतु रुपये 14777000 कुल 37447000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 055

लोक निर्माण विभाग (भवन)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-13 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	22919.00	18817.20	41736.20
	भारित	865.30	690.00	1555.30
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2000.00	2000.00
	भारित	...	337.05	337.05
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	22919.00	20817.20	43736.20
	भारित	865.30	1027.05	1892.35

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

051 - निर्माण

20 - राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य

24 - वृहत् निर्माण कार्य

मतदेय	--
भारित	337.05

योग : 20	मतदेय	--
	भारित	337.05

योग : 051	मतदेय	--
	भारित	337.05

योग : 80	मतदेय	--
	भारित	337.05

योग : 4059	मतदेय	--
	भारित	337.05

4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सरकारी रिहायशी भवन

106 - साधारण पूल आवास

03 - निर्माण - लोक निर्माण

0305 - प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूल आवासों का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

		धनराशि
योग : 0305		2000.00
योग : 03		2000.00
योग : 106		2000.00
योग : 01		2000.00
योग : 4216		2000.00
योग : पूँजी लेखा	मतदेय	2000.00
	भारित	337.05
योग : अनुपूरक	मतदेय	2000.00
	भारित	337.05

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजभवन परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु रुपये 33705000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूलड आवासों के निर्माण हेतु 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़के)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-17 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1075050.00	1930838.60	3005888.60
	भारित	8.29	3000.00	3008.29
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1.00	1000.00	1001.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1075051.00	1931838.60	3006889.60
	भारित	8.29	3000.00	3008.29

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3053 - नागर विमानन

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - प्रदेश में जनपद / तहसील / ब्लाक मुख्यालय पर हेलीपैड का अनुरक्षण

29 - अनुरक्षण

1.00

योग : 03

1.00

योग : 800

1.00

योग : 80

1.00

योग : 3053

1.00

योग : राजस्व लेखा

1.00

पूँजी लेखा-----

5053 - नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

60 - अन्य वैमानिक सेवाएं

800 - अन्य व्यय

03 - प्रदेश में जनपद/तहसील/ब्लाक मुख्यालय पर हेलीपैड का निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1000.00

	धनराशि
योग : 03	1000.00
योग : 800	1000.00
योग : 60	1000.00
योग : 5053	1000.00
योग : पूँजी लेखा	1000.00
योग : अनुपूरक	1001.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जनपद / तहसील / ब्लाक / मुख्यालयों में निर्मित हैलीपेड के अनुरक्षण हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता। आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी।
2. जनपद / तहसील / ब्लाक / मुख्यालयों पर हैलीपेड के निर्माण कराये जाने हेतु 100000000 की आवश्यकता।

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-30 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	102756.31	129109.97	231866.28
	भारित	13.70	...	13.70
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	350.00	9000.00	9350.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	103106.31	138109.97	241216.28
	भारित	13.70	...	13.70

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

01 - वानिकी

001 - निदेशन तथा प्रशासन

06 - ई-गवर्नेन्स योजना

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

100.00

योग : 06

100.00

योग : 001

100.00

योग : 01

100.00

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

111 - चिडिया घर

03 - प्रिंस आफ वेल्स जुलोजिकल गार्डन लखनऊ को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

50.00

योग : 03

50.00

06 - कानपुर प्राणी उद्यान

29 - अनुरक्षण

150.00

योग : 06

150.00

10 - गोरखपुर में चिडियाघर योजना

11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई

0.50

	धनराशि
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
39 - औषधि तथा रसायन	5.00
42 - अन्य व्यय	25.00
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.50
योग : 10	50.00
योग : 111	250.00
योग : 02	250.00
योग : 2406	350.00
योग : राजस्व लेखा	350.00
पूँजी लेखा-----	
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - वानिकी	
102 - समाज तथा फार्म वानिकी	
03 - समाजिक वानिकी (जिला योजना)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
योग : 03	5000.00
05 - पौधशाला प्रबन्धन योजना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	3900.00
42 - अन्य व्यय	100.00
योग : 05	4000.00
योग : 102	9000.00
योग : 01	9000.00
योग : 4406	9000.00
योग : पूँजी लेखा	9000.00
योग : अनुपूरक	9350.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वन विभाग की ई-गवर्नेंस योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
2. प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन ट्रस्ट लखनऊ को गैर वेतन मद में सहायता अनुदान हेतु 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
3. कानपुर प्राणि उद्यान के लिए धनराशी 15000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
4. गोरखपुर चिडियाघर योजनान्तर्गत राजस्व पक्ष में विभिन्न मदों में 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
5. सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण समबन्धी कार्य हेतु 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
6. पौधशाला प्रबंधन योजनान्तर्गत आगामी वर्षाकाल में पौधारोपण की व्यवस्था हेतु 390000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
7. पौधशाला प्रबंधन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में रोपित पौधों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से कराये जाने हेतु 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 061

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-62 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3401111.00	17700.00	3418811.00
	भारित	6936099.30	4696887.26	11632986.56
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	30.00	...	30.00
	भारित	500000.11	...	500000.11
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3401141.00	17700.00	3418841.00
	भारित	7436099.41	4696887.26	12132986.67

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2048 - ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन

101 - सिंकिंग फण्ड

04 - कॉन्सालिडेटेड सिंकिंग फण्ड

42 - अन्य व्यय

मतदेय	--
भारित	500000.00

योग : 04	मतदेय	--
	भारित	500000.00

योग : 101	मतदेय	--
	भारित	500000.00

योग : 2048	मतदेय	--
	भारित	500000.00

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

105 - विशेष जाँच आयोग

03 - षष्ठम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय)

42 - अन्य व्यय

30.00

योग : 03	30.00
----------	-------

योग : 105	30.00
-----------	-------

योग : 2070	30.00
------------	-------

2075 - विविध सामान्य सेवायें

800 - अन्य व्यय

04 - अपलिखित बाजार ऋणों पर ब्याज

42 - अन्य व्यय

		धनराशि
	मतदेय	--
	भारित	0.11
योग : 04	मतदेय	--
	भारित	0.11
योग : 800	मतदेय	--
	भारित	0.11
योग : 2075	मतदेय	--
	भारित	0.11
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	30.00
	भारित	500000.11
योग : अनुपूरक	मतदेय	30.00
	भारित	500000.11

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कन्सोलिडेटेड सिलिंग फन्ड में अन्तरण हेतु रुपये 50000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
2. राज्य वित्त आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 3000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
3. 5.75% उत्तर प्रदेशराज्य विकास ऋण-1980, 5.75% उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण-1981 एवं 7% उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋण-1993 के सापेक्ष अवशेष देय ब्याज के भुगतान हेतु रुपये 11000 की आवश्यकता।

अनुदान संख्या 065

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-20 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	45602.65	8171.71	53774.36
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	448.00	309.93	757.93
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	46050.65	8481.64	54532.29
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

091 - संलग्न कार्यालय

08 - संस्थागत वित्त निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

8.00

योग : 08

8.00

योग : 091

8.00

योग : 2052

8.00

2054 - खजाना तथा लेखा प्रशासन

098 - स्थानीय निधि लेखा परीक्षा

03 - अधिष्ठान व्यय-

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

440.00

योग : 03

440.00

योग : 098

440.00

योग : 2054

440.00

योग : राजस्व लेखा

448.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

04 - जनपद लखनऊ में संस्थागत वित्त निदेशालय के कार्यालय भवन का निर्माण

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

	धनराशि
	309.93
योग : 04	309.93
योग : 051	309.93
योग : 01	309.93
योग : 4059	309.93
योग : पूँजी लेखा	309.93
योग : अनुपूरक	757.93

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. संस्थागत वित्त महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने हेतु रुपये 800000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
2. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के क्रय हेतु रुपये 44000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
3. संस्थागत वित्त निदेशालय के कार्यालय भवन में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु रुपये 30993000 की आवश्यकता।

अनुदान संख्या 067

विधान परिषद् सचिवालय

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	9167.00	3732.32	12899.32
	भारित	152.05	...	152.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1244.10	4015.20	5259.30
	भारित	7.00	...	7.00
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	10411.10	7747.52	18158.62
	भारित	159.05	...	159.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

102 - विधान परिषद

03 - विधान परिषद्

01 - वेतन	मतदेय	49.00
	भारित	1.00
04 - यात्रा व्यय	मतदेय	362.10
	भारित	1.00
06 - अन्य भत्ते	मतदेय	245.00
	भारित	5.00
29 - अनुरक्षण		29.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		200.00

योग : 03	मतदेय	885.10
	भारित	7.00

04 - मा. सभापति, विधान परिषद् द्वारा विवेकाधीन अनुदान

42 - अन्य व्यय		20.00
----------------	--	-------

योग : 04		20.00
----------	--	-------

योग : 102	मतदेय	905.10
	भारित	7.00

		धनराशि
योग : 02	मतदेय	905.10
	भारित	7.00
योग : 2011	मतदेय	905.10
	भारित	7.00

2059 - लोक निर्माण कार्य

80 - सामान्य

053 - रखरखाव तथा मरम्मत

03 - विधान परिषद सचिवालय के अधीन अनावासीय भवनों की मरम्मत

0301 - सामान्य मरम्मत

29 - अनुरक्षण

339.00

योग : 0301 339.00

योग : 03 339.00

योग : 053 339.00

योग : 80 339.00

योग : 2059 339.00

योग : राजस्व लेखा मतदेय 1244.10
भारित 7.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

03 - विधान परिषद् परिसर में सिविल एवं विद्युत संबंधी कार्य

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1625.82

योग : 03 1625.82

04 - सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण देखने हेतु फाइबर ऑप्टिकल केबिल तथा ग्राफिक मॉनीटर एवं कियोस्क सिस्टम की स्थापना

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

298.00

योग : 04 298.00

05 - विधान परिषद् सभा मण्डप की " हॉ व नही " लॉबी में अत्याधुनिक ग्राफिक मॉनीटर (सिंगल बडी स्क्रीन) की स्थापना

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

126.50

योग : 05 126.50

06 - विधान परिषद् की गैलरी में ग्राफिक मॉनीटर सिस्टम की स्थापना

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

1031.00

		धनराशि
योग : 06		1031.00
07 - विधान परिषद में सिक्वोरिटी संबंधी उपकरण-एक्सरे, बैगज स्कैनर, बोलाड पास संबंधी एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम आदि की स्थापना		
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		426.00
योग : 07		426.00
योग : 800		3507.32
योग : 80		3507.32
योग : 4059		3507.32
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
800 - अन्य व्यय		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं		
0101 - विधान परिषद सचिवालय में "ई-विधान" व्यवस्था (के.60/रा.40 - के.+रा.)		
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		114.68
योग : 0101		114.68
योग : 01		114.68
04 - विधान परिषद सदन में 04 डेस्टामेक सीमलेस ग्राफिक मानीटर सिस्टम		
42 - अन्य व्यय		393.20
योग : 04		393.20
योग : 800		507.88
योग : 4070		507.88
योग : पूँजी लेखा		4015.20
योग : अनुपूरक		5259.30
		भारित 7.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. माननीय नेता विरोधी दल, माननीय सदस्य विधान परिषद् के वेतन में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 4900000, यात्रा व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 36210000 तथा अन्य भत्तों में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 24500000 कुल रुपये 65610000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
2. माननीय सभापति द्वारा उप सभापति, विधान परिषद् के वेतन में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 100000, यात्रा व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 100000 तथा अन्य भत्तों में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 500000 कुल रुपये 700000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
3. उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के कक्ष सं 77 एवं 81 के सामने के कक्ष में ऑडियो-विडियो साउण्ड सिस्टम एवं विडियो कान्फ्रेंसिंग के वार्षिक अनुरक्षण हेतु रुपये 2900000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
4. उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय में नेवा परियोजना से सम्बन्धित नेटवर्किंग कार्य, कार्यालय के प्रयोगार्थ 117 पर्सनल कम्प्यूटर तथा माननीय सदस्यों के प्रयोगार्थ 100 लैपटॉप के क्रय हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
5. माननीय सभापति, विधान परिषद् के विवेकाधीन अनुदान में रुपये 2000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

6. उत्तर प्रदेश विधान परिषद् परिसर शौचालयों के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार हेतु रुपये 28750000, विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु रुपये 1276000 तथा अन्य मरम्मत कार्यों हेतु रुपये 3843000 कुल रुपये 33900000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
7. उत्तर प्रदेश विधान परिषद् परिसर में गैलरियों के नवीनीकरण/जीर्णोद्धार सम्बन्धी सिविल कार्य हेतु रुपये 106271000, विद्युत कार्य हेतु रुपये 16450000 तथा अग्निशमन कार्य हेतु रुपये 3942000 एवं शेष कार्यों हेतु रुपये 35919000 कुल रुपये 162582000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
8. विधान परिषद् परिसर में सी.सी.टी.वी कन्ट्रोल रूम मॉनीटर सिस्टम की उच्चिकरण ग्राफिक मॉनीटर सिस्टम की स्थापना कार्य एवं विभिन्न कार्यालय कक्षों में स्पीकर एवं बड़ी साइज की एल.ई.डी. पैनल लगाये जाने हेतु रुपये 29800000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
9. विधान परिषद् परिसर में डिजिटल गैलरी एवं दर्शक दीर्घा में झूमर,सदन की कार्यवाही देखने हेतु एल.ई.डी. पैनल व इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु रुपये 12650000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
10. विधान परिषद् परिसर में डिजिटल गैलरी में प्रोजेक्शन मैपिंग ग्राफिक मॉनीटर सिस्टम,डायनेमिक कन्टेन्ट सिस्टम, वीडियो मैनेजमेन्ट सिस्टम आदि हेतु रुपये 103100000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
11. विधान परिषद् परिसर में एक्स-रे, लगेज स्कैनर, बोलाड पास एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम आदि को स्थापना कार्य हेतु रुपये 42600000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
12. विधान परिषद् परिसर में ई-विधान व्यवस्था के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के क्रय हेतु रुपये 11468000 की अतिरिक्त आवश्यकता।
13. विधान परिषद् परिसर में इन्ट्रिपिशन सिस्टम, स्पीकर सिस्टम एवं सी.सी.टी.वी. कन्ट्रोल रूम में ग्राफिक मॉनीटर सिस्टम सम्बन्धी कार्य हेतु रुपये 39320000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-9 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	30448.51	8191.50	38640.01
	भारित	407.16	55.00	462.16
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2331.21	450.00	2781.21
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	32779.72	8641.50	41421.22
	भारित	407.16	55.00	462.16

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101 - विधान सभा

03 - विधान सभा

01 - वेतन 363.29

06 - अन्य भत्ते 1917.92

13 - टेलीफोन पर व्यय 50.00

योग : 03 2331.21

योग : 101 2331.21

योग : 02 2331.21

योग : 2011 2331.21

योग : राजस्व लेखा 2331.21

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

13 - विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य

26 - मशीन और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

	धनराशि
	450.00
योग : 13	450.00
योग : 800	450.00
योग : 80	450.00
योग : 4059	450.00
योग : पूँजी लेखा	450.00
योग : अनुपूरक	2781.21

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विधान सभा में माननीय सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि के फलस्वरूप वेतन मद में रुपये 36329000 तथा अन्य भत्ते मद में रुपये 191792000 अर्थात् कुल रुपये 228121000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. माननीय सदस्यों को अनुमन्य सुविधाओं में हुई वृद्धि के फलस्वरूप टेलीफोन पर व्यय मद में रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. विधान भवन के बाहरी गुम्बद को आकर्षक रूप प्रदान किये जाने हेतु रुपये 45000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 069

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	119114.48	33518.00	152632.48
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	15000.00	3900.00	18900.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	134114.48	37418.00	171532.48
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

03 - प्रशिक्षण

003 - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

17 - कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय की व्यवस्था

42 - अन्य व्यय

15000.00

योग : 17 15000.00

योग : 003 15000.00

योग : 03 15000.00

योग : 2230 15000.00

योग : राजस्व लेखा 15000.00

पूँजी लेखा-----

4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

203 - रोजगार

07 - दस्तकार प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

700.00

योग : 07 700.00

14 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त व्यवसाय / एकक खोला जाना

	धनराशि
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1200.00
योग : 14	1200.00
16 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	2000.00
योग : 16	2000.00
योग : 203	3900.00
योग : 4250	3900.00
योग : पूँजी लेखा	3900.00
योग : अनुपूरक	18900.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में गुणवत्ता मानक के अनुसार नवाचार व उदीयमान क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों में अवशेष अवधि में लगभग 50 हजार अभ्यर्थियों के अल्पकालीन प्रशिक्षण हेतु रुपये 1500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. दस्तकार प्रशिक्षण योजना हेतु रुपये 700000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त व्यवसाय / एकक खोले जाने हेतु रुपये 1200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मशीनें और सज्जा / उपकरण हेतु एवं संयंत्र हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 070

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	108392.22	16601.00	124993.22
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	50000.00	...	50000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	158392.22	16601.00	174993.22
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2810 - नये और नवीनीकृत ऊर्जा

101 - ग्रिड इंटरएक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड नवीकरणीय ऊर्जा

07 - निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित स्फटाप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कराया जाना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

50000.00

योग : 07

50000.00

योग : 101

50000.00

योग : 2810

50000.00

योग : राजस्व लेखा

50000.00

योग : अनुपूरक

50000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित सोलर प्लाण्ट स्थापित किये जाने हेतु राज्य अनुदान रुपये 5000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-31 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1789478.46	112522.80	1902001.26
	भारित	2.00	...	2.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1590.14	...	1590.14
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1791068.60	112522.80	1903591.40
	भारित	2.00	...	2.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

02 - माध्यमिक शिक्षा

108 - परीक्षाएं

03 - माध्यमिक शिक्षा परिषद

42 - अन्य व्यय

290.14

योग : 03

290.14

04 - माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय

42 - अन्य व्यय

400.00

योग : 04

400.00

योग : 108

690.14

योग : 02

690.14

योग : 2202

690.14

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवार्ये

102 - विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम

04 - राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन.सी.सी.)

42 - अन्य व्यय

900.00

	धनराशि
योग : 04	900.00
योग : 102	900.00
योग : 2204	900.00
योग : राजस्व लेखा	1590.14
योग : अनुपूरक	1590.14

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में यात्रा देयकों के भुगतान तथा ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रुपये 29014000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिष्ठान व्यय आदि के लिये रुपये 40000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. एन.सी.सी. प्रशिक्षणों में विभिन्न मदों में व्यय हेतु रुपये 90000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 075

शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-21 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	45352.22	20160.57	65512.79
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	101.00	101.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	45352.22	20261.57	65613.79
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

201 - प्रारम्भिक शिक्षा -

06 - कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी.टी.ई.), वाराणसी में बाऊंड्रीवाल का निर्माण

25 - लघु निर्माण कार्य

1.00

योग : 06

1.00

07 - राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रयागराज का सुदृढीकरण

25 - लघु निर्माण कार्य

100.00

योग : 07

100.00

योग : 201

101.00

योग : 01

101.00

योग : 4202

101.00

योग : पूँजी लेखा

101.00

योग : अनुपूरक

101.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, वाराणसी में बाऊंड्रीवाल के निर्माण हेतु रुपये 100000 की आवश्यकता ।
2. राजकीय महिला शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज के मुख्य भवन एवं परिसर के सुदृढीकरण हेतु

समये 10000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-21 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	58508.04	5765.51	64273.55
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2615.63	2615.63
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	58508.04	8381.14	66889.18
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

202 - माध्यमिक शिक्षा

03 - अटल आवासीय विघालयों की स्थापना

42 - अन्य व्यय

2615.63

योग : 03 2615.63

योग : 202 2615.63

योग : 01 2615.63

योग : 4202 2615.63

योग : पूँजी लेखा 2615.63

योग : अनुपूरक 2615.63

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अटल आवासीय विघालयों में आगामी शैक्षिक सत्र के लिए पूंजीगत पक्ष में रुपये 261563000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 078

सचिवालय प्रशासन विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	249253.92	630.20	249884.12
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	400.00	...	400.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	249653.92	630.20	250284.12
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

090 - सचिवालय

11 - ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत सचिवालय में कम्प्यूटर लैपटाप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्रय

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

400.00

योग : 11

400.00

योग : 090

400.00

योग : 2052

400.00

योग : राजस्व लेखा

400.00

योग : अनुपूरक

400.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सचिवालय प्रशासन विभाग में 300 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु स्पये 40000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछडा

वर्ग कल्याण)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-20 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	490672.26	17542.53	508214.79
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	40463.63	1343.47	41807.10
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	531135.89	18886.00	550021.89
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

277 - शिक्षा

03 - अन्य पिछड़े हुये जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन

36160.00

योग : 03

36160.00

योग : 277

36160.00

800 - अन्य व्यय

04 - पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

3200.00

योग : 04

3200.00

योग : 800

3200.00

योग : 03

39360.00

योग : 2225

39360.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

	धनराशि
03 - मुख्यालय / मण्डलीय / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	
13 - टेलीफोन पर व्यय	25.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00
योग : 03	100.00
30 - डा. शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विध्वविद्यालय	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	543.63
योग : 30	543.63
38 - जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0 डी0 आर 0 सी0) की स्थापना / संचालन	
42 - अन्य व्यय	100.00
योग : 38	100.00
योग : 101	743.63
800 - अन्य व्यय	
04 - असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	360.00
योग : 04	360.00
योग : 800	360.00
योग : 02	1103.63
योग : 2235	1103.63
योग : राजस्व लेखा	40463.63

पूँजी लेखा-----

4225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

277 - शिक्षा

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण की योजना (के. 50/रा.50-के.+ रा.) (जिला योजना)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

योग : 0101

योग : 01

	धनराशि
योग : 277	200.00
योग : 03	200.00
योग : 4225	200.00

4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

06 - संकेत राजकीय मूकबधिर विद्यालय, गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 70.69

योग : 06 70.69

08 - शासकीय एवं जनपयोगी भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधा रहित वातावरण का सृजन

24 - वृहत् निर्माण कार्य 600.00

योग : 08 600.00

09 - राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का भवन निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य 200.00

योग : 09 200.00

25 - स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 106.28

योग : 25 106.28

36 - जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी)

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 166.50

योग : 36 166.50

योग : 101 1143.47

योग : 02 1143.47

योग : 4235 1143.47

योग : पूंजी लेखा 1343.47

योग : अनुपूरक 41807.10

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वर्ष 2024-25 में अवशेष पात्र तथा 2025-26 के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने हेतु रुपये 3616000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

2. अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन कर्मियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता के लिए रुपये 320000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस संचालन हेतु हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर एवं कनेक्टिविटी के क्रय हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विभिन्न मर्दों में सहायता अनुदान हेतु धनराशि रुपये 54363000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. प्रत्येक मंडल मुख्यालय में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. असहाय दिव्यांग कर्मियों को बीमारी के इलाज हेतु गैर वेतन मद में क्लियर इम्प्लाइंट कराये जाने हेतु रुपये 36000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. अन्य पिछड़े वर्ग के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रावास निर्माण कराये जाने हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. संकेत राजकीय मुक्त बाधिर विद्यालय गोरखपुर में मशीनें साज-सज्जा उपकरण एवं संयंत्र मद में रुपये 7069000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. शासकीय एवं जनपयोगी भवनों में दिव्यांग जन हेतु बाधरहित सुगम वातावरण बनाये जाने हेतु रुपये 60000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. जनपद लखनऊ एवं अयोध्या के राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. स्पर्श राजकीय बालक इंटर कालेज गोरखपुर में मशीनें साज सज्जा उपकरण एवं संयंत्र मद में रुपये 10628000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. प्रत्येक मंडल मुख्यालय में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र में उपकरणों / फर्नीचर क्रय हेतु रुपये 16650000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 080

समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों
का कल्याण)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-24 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1103506.82	...	1103506.82
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	20558.75	...	20558.75
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1124065.57	...	1124065.57
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान
को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

104 - वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण

01 - केन्द्र प्रयोजित योजनायें

0101 - अटल वयो अभ्युदय योजना (के.100/रा.0-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

558.75

योग : 0101

558.75

योग : 01

558.75

योग : 104

558.75

200 - अन्य कार्यक्रम

12 - मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

20000.00

योग : 12

20000.00

योग : 200

20000.00

योग : 02

20558.75

	धनराशि
योग : 2235	20558.75
योग : राजस्व लेखा	20558.75
योग : अनुपूरक	20558.75

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अटल वयो अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 55875000 की आवश्यकता ।
2. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-43 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	70244.98	102579.95	172824.93
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	4257.19	100.00	4357.19
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	74502.17	102679.95	177182.12
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2211 - परिवार कल्याण

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय 1140.00

योग : 0101 1140.00

योग : 01 1140.00

योग : 796 1140.00

योग : 2211 1140.00

2217 - शहरी विकास

05 - अन्य शहरी विकास योजनाये

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

03 - प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 192.00

योग : 03 192.00

योग : 796 192.00

	धनराशि
योग : 05	192.00
योग : 2217	192.00

2401 - फसल कृषि कर्म

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0109 - नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ 0 एस 0 / टी0 बी0 ओ 0) (के.60/रा.40-के.)

27 - सब्सिडी 105.06

योग : 0109 105.06

योग : 01 105.06

योग : 796 105.06

योग : 2401 105.06

2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

06 - स्वरोजगार कार्यक्रम

796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

27 - सब्सिडी 2755.13

योग : 0101 2755.13

योग : 01 2755.13

योग : 796 2755.13

योग : 06 2755.13

योग : 2501 2755.13

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोगना

06 - केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास योजना (राज्यांश)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 65.00

योग : 06 65.00

	धनराशि
योग : 796	65.00
योग : 2851	65.00
योग : राजस्व लेखा	4257.19
<hr/>	
पूँजी लेखा-----	
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	
796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना	
04 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	100.00
योग : 04	100.00
योग : 796	100.00
योग : 4250	100.00
योग : पूँजी लेखा	100.00
योग : अनुपूरक	4357.19

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रुपये 114000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के घटक भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) के अन्तर्गत दुर्लभ आय वर्ग के भवनों में राज्यांश द्वारा वाह्य विकास कार्य हेतु रुपये 19200000 की आवश्यकता ।
3. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (आयल शीड्स/टी.बी.ओ) के क्रियान्वयन हेतु रुपये 10506000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवीका मिशन हेतु रुपये 275513000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायित रेशम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 6500000 की आवश्यकता ।
6. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूँजीगत पक्ष में ए.टी.पी घटक के अन्तर्गत रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

घटक योजना)

[वर्ष 2025-2026 के ब्यौरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-77 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1955071.87	1832938.32	3788010.19
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	143578.67	6100.00	149678.67
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2098650.54	1839038.32	3937688.86
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

03 - शिक्षा

0301 - राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

30.00

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

200.00

योग : 0301

230.00

0302 - राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई , जालौन

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

50.00

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

300.00

योग : 0302

350.00

0303 - पैरा मेडिकल कालेज , झांसी

09 - विद्युत देय

66.00

17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व

125.00

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

50.00

	धनराशि
योग : 0303	241.00
0304 - राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर	
09 - विद्युत देय	100.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	75.00
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	400.00
योग : 0304	575.00
0305 - राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50.00
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	100.00
योग : 0305	150.00
योग : 03	1546.00
योग : 789	1546.00
योग : 05	1546.00
योग : 2210	1546.00

2211 - परिवार कल्याण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय 122355.00

योग : 0101 122355.00

योग : 01 122355.00

योग : 789 122355.00

योग : 2211 122355.00

2217 - शहरी विकास

05 - अन्य शहरी विकास योजनाये

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

03 - प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य

	धनराशि
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	2016.00
योग : 03	2016.00
योग : 789	2016.00
योग : 05	2016.00
योग : 2217	2016.00
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	
01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0127 - पी.एम. अजय योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ग्रान्ट इन एड का संचालन (के0-100/रा0-0-के0)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	14766.94
योग : 0127	14766.94
योग : 01	14766.94
12 - राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500.00
योग : 12	500.00
योग : 789	15266.94
योग : 01	15266.94
योग : 2225	15266.94
2401 - फसल कृषि कर्म	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0110 - नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ओ.एस. / टी.बी.ओ.) (के.60 / रा.40 -के.+रा.)	
27 - सब्सिडी	1448.98
योग : 0110	1448.98
योग : 01	1448.98
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
0201 - कृषि विकास योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)	

	धनराशि
27 - सब्सिडी	400.00
योग : 0201	400.00
योग : 02	400.00
08 - मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना (फल, फूल, मसाला, औषधीय व सुगन्ध) (राज्य योजना)	
27 - सब्सिडी	500.00
योग : 08	500.00
योग : 789	2348.98
योग : 2401	2348.98
2405 - मछली पालन	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03 - सघन मत्स्य पालक हेतु एयोरेशन सिस्टम की स्थापना	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	45.75
योग : 03	45.75
योग : 789	45.75
योग : 2405	45.75
योग : राजस्व लेखा	143578.67
पूँजी लेखा-----	
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	
02 - तकनीकी शिक्षा	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
11 - राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	100.00
योग : 11	100.00
योग : 789	100.00
योग : 02	100.00
योग : 4202	100.00
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
04 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	

	धनराशि
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	1000.00
योग : 04	1000.00
योग : 789	1000.00
योग : 4250	1000.00
4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
02 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
0201 - कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
योग : 0201	5000.00
योग : 02	5000.00
योग : 789	5000.00
योग : 4401	5000.00
योग : पूंजी लेखा	6100.00
योग : अनुपूरक	149678.67

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं संस्थानों के लिए विभिन्न मानक मदों में रुपये 154600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रुपये 12235500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के घटक भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) के अन्तर्गत दुर्लभ आय वर्ग के भवनों में राज्यांश द्वारा वाह्य विकास कार्यों हेतु रुपये 201600000 की आवश्यकता ।
4. पी.एम.अजय योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ग्रान्ट इन एंड के संचालन हेतु रुपये 1476694000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में छात्र-छात्रों के उपयोगार्थ फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (आयल शीड्स/टी.बी.ओ)के क्रियान्वयन हेतु रुपये 144898000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 40000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. मुख्यमंत्री राज्य औद्योगिक विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
9. सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना हेतु रुपये 4575000 की आवश्यकता ।
10. राजकीय पॉलिटेक्निकों की स्थापना हेतु रुपये 10000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूंजीगत पक्ष में विशेष घटक योजनाके अन्तर्गत रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु पूंजीगत पक्ष में रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 086

सूचना विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	97949.96	2501.00	100450.96
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3976.00	...	3976.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	101925.96	2501.00	104426.96
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2220 - सूचना तथा प्रचार

01 - फिल्म

105 - फिल्मों का निर्माण

03 - अधिष्ठान

08 - कार्यालय व्यय

8.00

योग : 03

8.00

06 - डिजिटल प्रसारण योजना

08 - कार्यालय व्यय

25.00

योग : 06

25.00

योग : 105

33.00

योग : 01

33.00

60 - अन्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधिष्ठान व्यय

08 - कार्यालय व्यय

70.00

11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई

54.00

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

15.00

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

100.00

	धनराशि
22 - आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1000.00
29 - अनुरक्षण	35.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	262.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	120.00
49 - चिकित्सा व्यय	8.00
योग : 03	1664.00
योग : 001	1664.00
102 - सूचना केन्द्र	
03 - सूचना केन्द्र का अधिष्ठान	
42 - अन्य व्यय	300.00
योग : 03	300.00
योग : 102	300.00
106 - क्षेत्र प्रचार	
03 - अधिष्ठान	
08 - कार्यालय व्यय	1.35
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.90
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	45.00
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	0.45
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.30
योग : 03	50.00
योग : 106	50.00
109 - फोटो सेवार्ये	
03 - अधिष्ठान	
08 - कार्यालय व्यय	14.00
योग : 03	14.00
योग : 109	14.00
110 - प्रकाशन	
03 - अधिष्ठान	
18 - प्रकाशन	1800.00
योग : 03	1800.00
योग : 110	1800.00
800 - अन्य व्यय	

	धनराशि
03 - स्वतन्त्रता तथा गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी उत्सवों आदि पर व्यय	
42 - अन्य व्यय	115.00
योग : 03	115.00
योग : 800	115.00
योग : 60	3943.00
योग : 2220	3976.00
योग : राजस्व लेखा	3976.00
योग : अनुपूरक	3976.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. फिल्मों का निर्माण योजनान्तर्गत धनराशि रुपये 3300000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश हेतु विभिन्न मदों में रुपये 166400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. सूचना केन्द्र के अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 30000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. सूचना विभाग के अन्तर्गत क्षेत्र प्रचार हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. सूचना विभाग की फोटो सेवायों हेतु रुपये 1400000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. सूचना विभाग के अन्तर्गत प्रकाशन कार्यों हेतु रुपये 18000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर व्यय हेतु रुपये 11500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7473.55	1250.00	8723.55
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	50.00	...	50.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	7523.55	1250.00	8773.55
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 - अन्य कार्यक्रम

03 - सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय

0301 - मुख्यालय-

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

50.00

योग : 0301

50.00

योग : 03

50.00

योग : 200

50.00

योग : 60

50.00

योग : 2235

50.00

योग : राजस्व लेखा

50.00

योग : अनुपूरक

50.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में ई-ऑफिस के संचालन हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर क्रय किये जाने के लिए रुपये रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-18 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	19879.51	23905.89	43785.40
	भारित	0.05	...	0.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	347.92	847.92
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	20379.51	24253.81	44633.32
	भारित	0.05	...	0.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

राजस्व लेखा-----

2205 - कला एवं संस्कृति

800 - अन्य व्यय

15 - लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों हेतु अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

योग : 15 500.00

योग : 800 500.00

योग : 2205 500.00

योग : राजस्व लेखा 500.00

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

04 - कला तथा संस्कृति

106 - संग्रहालय

57 - पुरातत्व निदेशालय के एवं पुरातत्व संग्रहालय भवन,लखनऊ तथा पुरातत्व विभाग की क्षेत्रीय ईकाइयों के विभिन्न कार्यों हेतु

60 - भूमि क्रय

1.00

योग : 57 1.00

58 - संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1.00

800 - अन्य व्यय

17 - स्मारकों का परिरक्षण एवं निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

धनराशि

योग : 58 1.00

योग : 106 2.00

344.92

योग : 17 344.92

56 - सार्वजनिक रामलीला मैदानों/स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1.00

योग : 56 1.00

योग : 800 345.92

योग : 04 347.92

योग : 4202 347.92

योग : पूँजी लेखा 347.92

योग : अनुपूरक 847.92

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के लोक कलाकारों को वाद्ययंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पुरातत्व निदेशालय के एवं पुरातत्व संग्रहालय भवन, लखनऊ तथा पुरातत्व विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों के विभिन्न कार्यों हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।
3. प्रदेश में संग्रहालयों की स्थापना विकास एवं क्यूरेशन कार्य हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।
4. उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय छत्तर मंजिल परिसर कैसरबाग लखनऊ के प्रशासकीय भवन के सद्दीकरण हेतु रुपये 34492000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. सार्वजनिक रामलीला मैदानों / स्थलों का विकास विस्तार जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों हेतु रुपये रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।

अनुदान संख्या 093

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

[वर्ष 2025-2026 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 10)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	134597.48	1643986.30	1778583.78
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	98.00	...	98.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	134695.48	1643986.30	1778681.78
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2702 - लघु सिंचाई

02 - भू-जल

005 - अन्वेषण

03 - भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण

08 - कार्यालय व्यय

29.00

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

69.00

योग : 03

98.00

योग : 005

98.00

योग : 02

98.00

योग : 2702

98.00

योग : राजस्व लेखा

98.00

योग : अनुपूरक

98.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भूगर्भ जल निदेशालय में ई-ऑफिस के संचालन हेतु रुपये 9800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

		(₹ लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	720597.33	3664.00	724261.33
	भारित	50.00	...	50.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1.00	1.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	720597.33	3665.00	724262.33
	भारित	50.00	...	50.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹ लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - निदेशन

14 - मोटर गाडियों का क्रय

1.00

योग : 03

1.00

योग : 001

1.00

योग : 80

1.00

योग : 4701

1.00

योग : पूँजी लेखा

1.00

योग : अनुपूरक

1.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिष्ठान के अन्तर्गत मोटर गाडियों के क्रय हेतु समये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में हो रही बचतों से वहन की जायेगी | ।